



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126510

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या. - 19269/2026

अफजल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अंबरीन मसरूर, सदरुल इस्लाम जाफरी, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सदरुल इस्लाम जाफरी, और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री विनय प्रकाश साहू को सुना गया।
- यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 299/2025, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी.एन.एस. के तहत, पुलिस थाना - कोतवालीनगर, जिला-मुजफ्फरनगर में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, एस.आई. इंद्रजीत सिंह द्वारा एक प्रथम इतिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि विश्वकर्मा चौक पर पुलिस की मौजूदगी के दौरान एक मुखबिर ने पुलिस को सूचित किया था कि कुछ लोग निर्दोष लोगों से आधार और पैन कार्ड प्राप्त करने में शामिल थे और उनका उपयोग फर्जी वस्तु एवं सेवा कर फर्म बनाने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए कर रहे थे। आगे आरोप है कि ऐसी फर्जी फर्म के आधार पर वे निर्दोष लोगों को धोखा दे रहे थे। यह भी आरोप है कि आरोपी व्यक्ति फर्जी बिल और इलेक्ट्रॉनिक मार्ग प्रपत्र तैयार करने में लगे हुए थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था और वे अवैध रूप से अपने लिए लाभ कमा रहे थे।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम इतिला रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है, और उसका नाम केवल एक सह-आरोपी के संस्वीकृति कथन के आधार पर सामने आया है। आगे कहा गया है कि आवेदक का सह-अभियुक्त सलीम से कोई सरोकार नहीं है, जिसका नाम प्रथम इतिला रिपोर्ट में था। अन्वेषण के दौरान, सह-अभियुक्त सलीम के साथ आवेदक के संबंध को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास इस जमानत आवेदन में सम्यक् रूप से समझाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि सह-अभियुक्त मोनीस अली को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, और आवेदक इस आधार पर समानता का दावा करता है कि उसकी भूमिका जमानत पर रिहा किए गए सह-अभियुक्त के समान है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक 31.01.2026 से कारागार में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

5. दूसरी तरफ, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध के आवेदक **अफजल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक पर सुनवाई स्थगन करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित दिनांक पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित दिनांक पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (i) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित दिनांकों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त हेतुक के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

10 जून, 2026

(श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।